क्रम संख्या–196

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 03 दिसम्बर, 2014 ई0

अग्रहायण 12, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 310 / XXXVI(3) / 2014 / 80(1) / 2014

देहरादून, 03 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014"** पर दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 25 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का द्वितीय अनूपूरक) अधिनियम, 2014

(अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2014)

31 मार्च, 2015 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित–

संक्षिप्त नाम

1– इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग (2014–2015 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2014 है।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2014–15 के लिये रु0 21214150000/का दिया जाना

2– ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेगे, उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से उतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों, जिनका कुल योग रु0 21214150000/– (रुपया दो हजार एक सौ इक्कीस करोड़ इक्तालीस लाख पचास हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3– इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

(धनराशि हजार रुपये में)

अनुदान	विभाग का नाम		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
01–	विधान सभा	राजस्व	3000	0	3000
		पूँजी	0	0	0
02–	राज्यपाल	राजस्व	0	4380	4380
		पूँजी	0	0	0
03–	मंत्रिपरिषद	राजस्व	850000	0	850000
		पूँजी	250000	0	250000
04–	न्याय प्रशासन	राजस्व	32785	24700	57485
		पूँजी	95000	0	95000
06–	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	51464	0	51464
		पूँजी	5000	0	5000
07–	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	2910099	0	2910099
		पूँजी	1550000	0	1550000
08–	आबकारी	राजस्व	12250	0	12250
		पूँजी	0	0	0
09–	लोक सेवा आयोग	राजस्व	3	5000	5003
		पूँजी	0	0	0
10–	पुलिस एवं जेल	राजस्व	622109	0	622109
		पूँजी	120000	0	120000
11–	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	733254	0	733254
		पूँजी	263014	0	263014
12–	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	608641	0	608641
		पूँजी	453500	0	453500
13–	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	947930	0	947930
		पूँजी	130000	0	130000
14–	सूचना	राजस्व	150000	0	150000
		पूँजी	121800	0	121800
15–	कल्याण योजनायें	राजस्व	1236934	0	1236934
		पूँजी	109624	0	109624
16–	श्रम और रोजगार	राजस्व	371361	0	371361
		पूँजी	0	0	0
17–	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	2500	0	2500
		पूँजी	1318984	0	1318984
18–	सहकारिता	राजस्व	38000	0	38000
		पूँजी	0	0	0
19–	ग्राम्य विकास	राजस्व	29750	0	29750
		पूँजी	0	0	0
20–	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	82634	0	82634
		पूँजी	1915429	0	1915429

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

(धनराशि हजार रुपये में

अनुदान	विभाग का नाम		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की सर्मेकित निधि पर भारित	
1	2		3		
22—	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	530000	0	
		पूँजी	2450000	0	
23—	उद्योग	राजस्व	6500	0	
		पूँजी	0	0	
24—	परिवहन	राजस्व	100000	0	
		पूँजी	544662	0	
25—	खाद्य	राजस्व	2650	0	
		पूँजी	4556	0	
26—	पर्यटन	राजस्व	50000	0	
		पूँजी	170000	0	
27—	वन	राजस्व	318994	0	
		पूँजी	15000	0	
28—	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	258134	0	
		पूँजी	0	0	
29—	औद्यानिक विकास	राजस्व	95571	0	
		पूँजी	0	0	
30—	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	851565	0	
		पूँजी	291480	0	
31—	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	225893	0	
		पूँजी	250000	0	
	योग—	राजस्व	**11122021**	**34080**	**111**
		पूँजी	**10058049**	**0**	**100**
	महायोग		**21180070**	**34080**	**21**

आज्ञा से

जय देव ि

प्रमुख सचि